# TRAFFIC POLICE HAPUR

**प्रेस नोट** **दिनांक 29.11.2023**

## ऑपरेशन पटाखा अभियान के अन्तर्गत यातायात पुलिस द्वारा 400 बुलेट मोटरसाइकिल के मोडिफाइड साईलेंसरों को रोड रोलर के माध्यम से नष्ट कराया गया।

मा0 उच्चतम न्यायालय व एन0जी0टी0 के आदेश-निर्देशों के अनुपालन में तथा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत NOISE POLLUTION (SECTION 190 (2)) MV ACT 1988 एवं SECTION (52) MV ACT 1988 का पालन न करने वाले वाहन चालकों के विरूद्व चलाए जा रहे ऑपरेशन पटाखा अभियान के अन्तर्गत बुलेट मोटरसाइकिल पर लगे मोडिफाइड साइलेंसर उतरवाकर नष्ट कराये जाने के क्रम में आज दिनांक 29.11.2023 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा बुलेट मोटरसाइकिल से उतरवाये गये मोडिफाइड साइलेंसर को मेरठ तिराहे के पास रोड रोलर के माध्यम से नष्ट कराने की कार्यवाही की गई है-

- आज दिनांक 29.11.2023 को 400 बुलेट मोटरसाइकिल के पटाखा छोड़ने वाले/मोडिफाइड साइलेंसरों को उतरवाकर रोड रोलर के माध्यम से नष्ट कराया गया।

### प्रचलित वर्ष-2023 में अब तक ऑपरेशन पटाखा अभियान के अन्तर्गत बुलेट मोटरसाइकिल/मोडिफाइड साईलेंसरों के विरूद्व की गई कार्यवाहीः-

- 44 पटाखा छोड़ने वाली बुलेट मोटरसाइकिलों को 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत यातायात कार्यालय पर निरूद्व (सीज) किया गया।
- मोडिफाइड साईलेंसर लगाकर चलाने वालों के विरूद्व एमवी एक्ट के अंतर्गत के अंतर्गत 1185 चालान किये।

# प्रचलित वर्ष-2023 में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध जनपदीय हापुड़ पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का विवरणः-

- जनपदीय पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध एमवी एक्ट के अन्तर्गत कुल 65,654 चालान किये गये।
- कुल 750 बुलेट मोटरसाइकिलों के पटाखा छोड़ने वाले/मोडिफाइड साइलेंसरों को उतरवाकर नष्ट कराया गया है जिनकी अनुमानित कीमत करीब 09 लाख रुपये है।

नोटः- बढते ध्वनि/वायू प्रदूषण की रोकथाम हेतु एन0जी0टी0 के अनुपालन मे हापुड़ पुलिस द्वारा सभी वाहन (बुलेट मोटरसाइकिल) चालकों को भविष्य में पुनः पटाखा छोड़ने वाले साइलेंसर न लगाने के सम्बन्ध में सख्त हिदायत दी जाती है तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील की जाती है।